न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाललाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या–05/2020

1. राजेराम पुत्र रलदुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत बरवाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बरवाली तहसील नोहर।
2. पंचायत समिति नोहर जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. रामकुमार पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर ।
5. भूपसिंह पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. जयलाल पुत्र चौथुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

–असल अप्रार्थीगण

7. विनोद पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
8. जीत पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
9. मंजु पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
10. शंकर पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
11. रामकुमार पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
12. बलवीर पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
13. विमला पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
14. विद्या पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
15. सन्तोष पुत्री लाधुराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:08 IST
Reason: SelfAttested

– तरतीबी अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री [illegible] अधिवक्ता प्रार्थीगण।

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–3, 4, 6

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–5

अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय

दिनांकः—01.03.2024

प्रार्थीगण द्वारा निर्णय दिनांक 28.02.2019 अपील संख्या 7/2009 पंचायत समिति नोहर के द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने बाबत निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. प्रार्थीगण व मृतक रामजीलाल व लादुराम ने अधिनस्थ समिति में एक अपील इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम पंचायत बरवाली ने अप्रार्थीगण मृतक कृष्ण व रामकुमार, भूपसिंह व जलाल के द्वारा गांव की जोहड की भूमि में अवासीय पट्टे बना लिए है। उक्त पट्टो की आड़ में वो जोहड की भूमि पर जबरन काबिज होना चाहते है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे गांव का पानी गांव की गलियों में रूक जायेगा तथा घरो में पानी घुस जायेगा। दिनांक 16.07.09 को अप्रार्थीगण उक्त स्थल पर आये तथा नापतोल करने लगे तो पता चला कि अप्रार्थीगण ने फर्जी पट्टे बना रखे है व जोहड की भूमि पर काबिज होना चाहते है। गांव के व्यक्तियों ने उक्त जगह को सुरक्षित रखा हुआ है ताकि वहां पर गांव के पशु पानी पी सके तथा मौके पर पीपल के पेड़ इत्यादि खड़े है। औमप्रकाश ने अपने पक्ष में दिनांक 15.05.1999 को 30 गुणा 50 फुट व रामकुमार ने 30 गुणा 50 फुट व भूपसिंह ने 30 गुणा 50 फुट व जयलाल ने 40 गुणा 70 फुट के विनियमितिकरण कर पट्टे तत्कालीन सरंपच के साथ साज—बाज कर बनवा लिए। अपीलाधीन पट्टे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम सन् 1996 मे दिये गये प्रावधानो की पालना किये बिना जारी किये गये है। सारी कार्यवाही एक ही दिन में की जाकर विधि विरूद्ध तरीके से जारी किये है, जो कतई गलत है। अपीलाधीन पट्टे की आड़ में उक्त जगह पर काबिज होने की फिराक में है। विवादित जगह पर कब्जे होने से बरसात का पानी गिनाणी में नही जा सकेगा। ऐसी सुरत में जारी फर्जी पट्टे को खारिज किया जावे।

   वाद सुनवाई अपील प्रार्थीगण की दिनांक 28.02.2019 को खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता निम्न आधारो पर निगरानी प्रस्तुत कर रहे है।—

   (क) अपीलाधीन निर्णय कतई गलत व विधि के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरित है तथा काबिल खारिज के है।

   (ख) प्रार्थीगण के द्वारा एक अपील संख्या 7/2009 अधीनस्थ समिति में पेश की तथा जो बाद सुनवाई दिनांक 03.02.2013 को स्वीकार की गयी थी तथा उक्त निर्णय में अधीनस्थ समिति के द्वारा उक्त जगह का मौका निरीक्षण किया गया। अपने निर्णय में उक्त जगह को जोहड की मानकर पट्टे निरस्त कर दिये थे तथा अपने निर्णय में उक्त जगह पर छोटी—छोटी दीवार होना तथा नया निर्माण कार्य होना मानकर तथा उक्त जगह पर निवास ही नही किया जा सकता है ऐसा मानकर अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी किये गये पट्टे निरस्त किये थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

अतिरिक्त जिला कल...
नोहर (हनुमानगढ़)

(ग) अधीनस्थ समिति के द्वारा 2013 में उक्त पट्टे को वैध नही माना गया था जबकि अब अपने निर्णय में उन्ही पट्टे को वैध मानकर गलत निर्णय पारित किया है, जो काबिल खारिजी के है।

(ङ) अधीनस्थ समिति के द्वारा एक ही पट्टो को वैध व अवैध माना है जबकि उक्त पट्टे जोहड की भूमि में काटे गये है। जो कानून गलत है ऐसी स्थिति में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2019 कतई गलत है तथा मनमाने व राजनैतिक तरीके से किया निर्णय है।

(च) अधीनस्थ समिति के द्वारा पारित निर्णय की एक निगरानी संख्या 7/13 न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत की गयी थी, जो बाद सुनवाई के रिमाण्ड की गयी। तत्पश्चात प्रार्थीगण की अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई सुनवाई ही नहीं की गयी। बाला – बाला तरीके से पूर्व मे अपने द्वारा पारित निर्णय को ही बदल दिया गया है, जो कतई गलत है।

(छ) अधीनस्थ समिति के द्वारा पारित निर्णय में अप्रार्थीगण के विवादित स्थल पर कब्जा होने की मांग की है जबकि पूर्व में पारित निर्णय में मौके पर कोई कब्जा नही होना माना है। जो कि कतई गलत अभिकथित किया गया है। उक्त जगह का उपयोग व उपभोग में भी होना माना है तथा पटटे सम्पूर्ण प्रक्रिया अपना कर जारी होना अभिकथित किया है जबकि पूर्व में पारित निर्णय विवादित स्थल पर कोई निर्माण नही होना मानकर पट्टे निरस्त किये थे।

(ज) अधीनस्थ समिति के द्वारा प्रार्थीगण की अपील को अन्दर मियाद नहीं माना है जबकि प्रार्थीगण की अपील पूर्व में ही अधीनस्थ समिति में जैरकार थी तथा पूर्व में पारित निर्णय मे अपील को अन्दर मियाद माना था जबकि उसी अपील को अब अन्दर मियाद ना मानकर अधीनस्थ समिति के द्वारा कानूनी भूल कारित की है, जो विधि के मूलभूत सिद्धान्तो के विपरित है तथा काबिल खारीजी के है।

(झ) अधीनस्थ समिति में अपने निर्णय मे सीपीसी के प्रावधानो का हवाला दिया गया है जबकि पटटे की अपील सीपीसी के कोई प्रावधान लागु नहीं होते, ऐसा कर कानूनी गलती कारित की है, जो काबिल [illegible] है।

2. माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक [illegible]6.14 को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की, कि दोनो पक्षो की मौजुदगी में नि[illegible] किया जाकर निर्णय पारित करे। जिस पर अधीनस्थ समिति के द्वारा [illegible] प्रार्थीगण को सुना गया। इसी दौरान प्रार्थी सं.1 रामजीलाल व लादुराम का देहान्त हो चुका था। मृतक रामजीलाल ही उक्त प्रकरण में पैरवी करते थे। उनका देहान्त हो चुका है तथा प्रार्थीगण को कोई कानूनी दावपेच का पता नही है। अब दिनांक 18.02.2020 को अप्रार्थीगण सं. 3 ता 6 ने वादग्रस्त भूखण्ड की पैमाईश करने लगे तथा कहा कि निर्णय हमारे पक्ष में हो चुका है। अब निर्माण कार्य करके जिस पर प्रार्थीगण अधीनस्थ समिति में गये तो पता चला

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:08 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कि अपील खारीज हो चुकी है। जिस पर नकल इत्यादि लेकर व पैसे की व्यवस्था करके निगरानी पेश कर रहे है, जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

3. अप्रार्थीगण सं. 7 ता 15 को तरतीबी अप्रार्थीगण मुर्तिब किया गया है। प्रार्थीगण व तरतीबी प्रार्थीगण सं 7 तां 15 का हित एक समान है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ समिति का निर्णय निरस्त किया जावें।

निगरानी प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 3,4,6 की ओर से हवासिंह पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–5 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी सख्या–1, 2 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या– 7 ता 15 को तर्क किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया एंव अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत बरवाली से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करनें पर पाया कि ग्राम पंचायत बरवाली के वर्तमान रिकार्ड में उक्त पट्टों से संबधित कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं है। लेकिन अपीलाधीन चारों पट्टों की मूल पट्टा बही मौजूद है एंवम रसीद बुक ग्राम पंचायत रिकार्ड में उपलब्ध है। उक्त अपीलाधीन पट्टो की भूमि के संबध में तहसीलदार नोहर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कि गिनाणी की भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं। यह स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) एंव पंचायत की आबादी रिकार्ड में उक्त गिनानी रिकॉर्डेड नहीं होनें से इस गिनानी की लंबाई चौड़ाई का रिकार्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है। पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि पर जारी किये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2019 को पारित निर्णय में कोई भूल कारित नहीं की है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जाए। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक [illegible] 2024 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:08 IST
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)